भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

7

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

258

प्रकरण क्रमांक / 2012 निगरानी — 226-II/12

सुभाषचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व.श्री महेश प्रसाद गुप्ता, आयु– 55 वर्ष, व्यवसाय– कृषि, निवासी– ग्राम गोवर्दे, तहसील मानपुरा जिला उमरिया म.प्र. ....आवेदक

बनाम

1. रामसचिव पुत्र श्री रामबिहारी
2. रामबिहारी पुत्र रामप्रसाद

निवासीगण– ग्राम गोवर्दे, तहसील मानपुरा जिला उमरिया म.प्र. ....अनावेदक

19.07.12

19-7-12

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–रामस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार मानपुरा जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 39/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 26.5.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।</u>

19.7.12
L. S. Dhakad
Adv.

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 907, 981 रकवा क्रमशः 1.76, 1.57 एकड़ भूमि है जो ग्राम गोवर्दे तहसील मानपुरा जिला उमरिया में उक्त भूमि में से सर्वे क्रमांक 907, रकवा 1.76 एकड़ में से 1 एकड़ भूमि आवेदक की पैतृक भूमि है जिस आवेदक निरंतर कास्त करते चले आ रहे हैं किन्तु अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय मानपुरा के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 129 के तहत प्रस्तुत कर विवादित भूमि का सीमांकन हेतु प्रस्तुत किया गया है उक्त भूमि के सीमांकन के पूर्व सीमांकन नियमों का विधिवत् पालन नहीं किया गया और न ही हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना व सुनवाई का अवसर दिया गया। तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन नियमों का तात्पर्य रखते हुए आलोच्य आदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2260-दो/2012 जिला उमरिया सुभाषचंद्र विरूद्ध रामसचिव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार मानपुरा जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 39/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26-05-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 16-01-19 (आर.के. जैन) सदस्य	